प्रपत्र–'क'

सुचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र।

आई.डी.सं. (कार्यालय प्रयोग के लिए).....पपप१/२५-२६

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

रसीद सं० S184663
दिनांक 11.02.2026

1. **आवेदक का नाम : संतोष कुमार सिंह**
2. **पूरा पता : मो०–मुखिया, ग्राम पंचायत–कोथवां, ग्राम–कोथवां, खगौल, जिला–पटना, पिन–801105 (बिहार)**

3. मांगी गई सूचना का ब्योरा (संक्षेप में) :**(क)** बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०, पटना के सुगम संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1/पद सृजन–01/2009 खण्ड– 10961 (s) we, पटना दिनांक 05.10.2009 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1/पद सृजन–01/2009 खण्ड– 7070 (s), पटना दिनांक 30.06.2009 में स्नातक/बी0कॉम (DCA के साथ) के अर्हता वाले पद स्टेनोग्राफर, एकाउण्ट ऐजक्यूटिव एवं कार्यालय ऐजक्यूटिव तथा इंटर स्तर (DCA के साथ) के अर्हता वाले पद कम्प्यूटर ऑपरेटर का नियत वेतन एक समान है।

   (ख) अतः सूचना उपलब्ध करायी जाए कि पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त वर्णित दोनों पत्रों के आलोक में संविदा आधारित स्नात्क स्तरीय (DCA के साथ) तथा इंटर स्तरीय (DCA के साथ) पदों का नियत वेतन एक समान होना विभागीय निर्णय के फलस्वरूप है अथवा विभागीय त्रुटि का परिणाम है। अगर यह विभागीय निर्णय है तो इसका औचित्य परिभाषित करने की कृपा की जाए।

   (ग) अनुसेवक पद के लिए इंटर स्तर की अर्हता है लेकिन नियत वेतन समान नहीं है। क्या यह विभागीय त्रुटि है अथवा विभागीय निर्णय के अनुरूप है। अगर यह विभागीय निर्णय है तो इसका औचित्य परिभाषित करने की कृपा की जाए।

   (घ) पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त वर्णित दोनों पत्रों के निदेशानुसार नियुक्ति एवं सेवा लेने के उपरांत शैक्षणिक अर्हता के आधार पर वेतन एवं पद का पुर्ननिर्धारण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा किया जा सकता है अथवा नहीं। अगर हाँ, तो क्या यह पूर्व में नियुक्त हो चुके कर्मचारियों के पद एवं वेतन पर भी लागू होगा अथवा नहीं।

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

5. (1) मैंने दस (10) रूपये का पोस्टल आर्डर (भुगतान आदेश) सं . 69F 816571 दिनांक **07.02.2026** जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतेय है।

   (2) ~~मैं दस (10) रूपये तिथि..... को रसीद सं..... से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।~~

   (3) ~~मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न है।~~

253 रुपये 40 पैसा 11/02/26 इन्दु केसरी

स्थान : पटना।
दिनांक : 07/02/26

आवेदक का हस्ताक्षर संतोष कुमार सिंह

आवेदक पत्राचार का पूरा पता :
संतोष कुमार सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत–कोथवां, खगौल, पटना, पिन–801105 (बिहार)
ई–मेल पता, अगर कोई हो .....
दूरभाष संख्या–**9431241410/94702 22164/9308220518**

11-02-2026

नोट : गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का कोई फीस देय नहीं है।
जो लागु नहीं है उसे काट दे।

प्रपत्र 'ङ'

(नियम 4 (2) देखे)

अन्य प्राधिकार से संबंधित आवेदन का स्थानान्तरण

बिहार सरकार

पथ निर्माण विभाग

P/C Komal (13.02.2026) 5:00PM

पत्र संख्याः–**लो.सू.को./आई.डी.सं.–449/25–26** 1127(E) पटना, दिनांक–13/02/2026

प्रेषकः

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

निबंधित

लोक सूचना पदाधिकारी,
बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड,
बिहार, पटना।

महाशय,

श्री संतोष कुमार सिंह का सूचना आवेदन दिनांक–07.02.2026 जो इस विभाग में दिनांक–11.02.2026 को प्राप्त हुआ है, जिसका **आई०डी०सं०–449/25–26** है। याचित सूचना आपके कार्यालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित है।

अतः अधिनियम की धारा–6(3) के अनुपालन में इसे आवश्यक कार्यार्थ आपको स्थानान्तरित किया जाता है। अनुरोध है कि अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

Komal 13/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांकः–1127(E) पटना, दिनांकः–13/02/2026

निबंधित

प्रतिलिपिः– **श्री संतोष कुमार सिंह,** मो०–मुखिया, ग्राम पंचायत–कोथवां, खगौल, जिला– पटना,, पिन–801105, मो०–9431241410 **(आवेदक)।**

चूँकि माँगी गई सूचना से संबंधित आपका आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, अतः इसे संबंधित क्षेत्राधिकार वाले लोक सूचना पदाधिकारी को स्थानान्तरित कर दिया गया है। उल्लेखित लोक सूचना पदाधिकारी से संपर्क करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

Komal 13/2/26

लोक सूचना पदाधिकारी

स्वीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
.....
दिनांक–.....

बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि०

(बिहार सरकार का एक उपक्रम)

निबंधित कार्यालय : केन्द्रीय यांत्रिक कर्मशाला परिसर, हवाई अड्डा के निकट, शेखपुरा, पटना–800014
दूरभाष–0612–2226723, फैक्स–0612–2226711, ई–मेल-bsrdcltd@gmail.com, वेबसाईट-www.bsrdcl.bih.nic.in

पत्रांक– BSRDC Ltd : 4915/2026 पटना, दिनांक –

प्रेषक,

मिन्टी हर्षिता,
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)–सह–लोक सूचना पदाधिकारी,

कम्प्यूटर से प्राप्त आगत
पंजीयन सख्या
पंजीयन सं० 5289883
दिनांक 06.03.2026

सेवा में,

श्री संतोष कुमार सिंह,
मुखिया, ग्राम – पंचायत – कोथवां, खगौल, पटना, पिन – 801105 (बिहार),
दूरभाष संख्या – 9431241410 / 9470222164 / 9308220518.

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपका दिनांक – 07.02.2026 का सूचना आवेदन, प्रपत्र–क, आई०डी० संख्या – 449 / 25–26 के संबंध में।

प्रसंग : लोक सूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक – 1127(E)We, दिनांक 13.02.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचना आवेदन, जो प्रासंगिक पत्र के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त है, से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन पार पृष्ठ पर अंकित कर प्रेषित की जा रही है।

ह० / –
(मिन्टी हर्षिता)
लोक सूचना पदाधिकारी

ज्ञापांक – BSRDC Ltd : 4915/2026 -816 पटना, दिनांक – 05.03.2026

प्रतिलिपि – लोक सूचना पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

5/3/26
(मिन्टी हर्षिता)
लोक सूचना पदाधिकारी

333 डाक० 09/03/26

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 06(3) के तहत प्राप्त आवेदक – श्री संतोष कुमार सिंह, मुखिया, ग्राम – पंचायत – कोथवां, खगौल, पटना, पिन – 801105 (बिहार), का दिनांक 07.02.2026 का सूचना आवेदन, प्रपत्र –'क', I.D.No : 449/25-26 से संबंधित प्रतिवेदन

आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना	संबंधित प्रतिवेदन
(क) बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना के सुगम संचालन हेतु पदों के सृजन के संबंध में पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –1/पद सृजन–01/2009 खण्ड – 10961(S)We, पटना, दिनांक 05.10.2009 एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक –1/पद सृजन–01/2009 खण्ड – 7070(S), पटना, दिनांक 30.06.2009 में स्नातक/बी०कॉम (DCA के साथ) के अहर्त्ता वाले पद स्टेनोग्राफर, एकाउण्ट ऐजक्यूटिव एवं कार्यालय ऐजक्यूटिव तथा इंटर स्तर (DCA के साथ) के अहर्त्ता वाले पद कम्प्यूटर ऑपेरेटर का नियत वेतन एक समान है।	माँगी गई सूचना RTI Act, 2005 की धारा 2(च) अंतर्गत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है।
(ख) अतः सूचना उपलब्ध करायी जाए कि पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त वर्णित दोनों पत्रों के आलोक में संविदा आधारित स्नातक स्तरीय (DCA के साथ) तथा इण्टरस्तरीय (DCA के साथ) पदों का नियत वेतन एक समान होना विभागीय निर्णय के फलस्वरूप है अथवा विभागीय त्रुटि का परिणाम है। अगर यह विभागीय निर्णय है तो इसका औचित्य परिभाषित करने की कृपा की जाए।	माँगी गई सूचना RTI Act, 2005 की धारा 2(च) अंतर्गत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है।
(ग) अनुसेवक पद के लिए इंटर स्तर की अर्हत्ता है लेकिन नियत वेतन समान नहीं है। क्या यह विभागीय त्रुटि है अथवा विभागीय निर्णय के अनुरूप है। अगर यह विभागीय निर्णय है तो इसका औचित्य परिभाषित करने की कृपा की जाए।	माँगी गई सूचना RTI Act, 2005 की धारा 2(च) अंतर्गत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है।
(घ) पथ निर्माण विभाग के उपरोक्त वर्णित दोनों पत्रों के निदेशानुसार नियुक्ति एवं सेवा लेने के उपरांत शैक्षणिक अर्हत्ता के आधार पर वेतन एवं पद का पुर्ननिर्धारण बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि० द्वारा किया जा सकता है या नहीं। अगर हाँ, तो क्या यह पूर्व में नियुक्त हो चुके कर्मचारियों के पद एवं वेतन पर भी लागू होगा अथवा नहीं।	माँगी गई सूचना RTI Act, 2005 की धारा 2(च) अंतर्गत सूचना की परिभाषा के अंतर्गत नहीं है।

(चित्रसेन कुमार)
प्रबंधक (प्रशासन)

(मिन्टी हर्षिता)
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)